

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं.13/2018-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सा0का0नि0.....(अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के खंड 108, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालों पर, जब वे भारत में आयात किए जाते हैं, वित्त विधेयक के उक्त खंड के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन एकीकृत कर और उप-धारा (9) के अधीन माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर पर उद्ग्रहणीय सामाजिक कल्याण अधिभार से, पूर्ण रूप से, छूट प्रदान करती है ।

(फा.सं.334/04/2018-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार